रजिस्टर्ड नं० एच०-33/एस०एम०/13-14/94.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 18 जून, 1994/28 ज्येष्ठ, 1916

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 26 अप्रैल, 1994

संख्या पी० सी० एच०-एच०ए०(5)19/94.—क्योंकि श्री अशोक कुमार, निवासी मेवा कोहलां की शिकायत पर उपायुक्त ऊना द्वारा छानबीन करवाने पर श्री संध्या दास, प्रधान, ग्राम पंचायत ओयल, विकास खण्ड गगरेट द्वारा दिनांक 15-6-92 को जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर के देखे बिना श्रीमती चिन्ती देवी पत्नी श्री लच्छमण दास कोहला, ग्राम नवां कोहला का जन्म प्रमाण-पत्र जारी किया जिसमें जन्म तिथि 3-6-1895 दर्शाई गई है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना द्वारा दिनांक 3-6-92 को जारी प्रमाण-पत्र तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊना जिला की अम्ब तहसील के ओयल स्थानीय क्षेत्र के वर्ष 1895 से सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों की तसाली करने पर श्रीमती चिन्ती देवी सुपुत्नी लच्छमन दास का जन्म रजिस्ट्रीकरण न होने के आरोप में दोषी पाया गया।

क्योंकि दिनांक 2-12-93 को प्रारम्भिक जांच के दौरान उक्त प्रधान वर्ष 1895 से सम्बन्धित जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर जिसके अनुसार प्रमाण-पत्र जारी किया है को प्रस्तुत करने में असफल रहा जिसके लिए उन्हें उपायुक्त ऊना ने दिनांक 20-12-93 को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

और क्योंकि प्रधान का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया तथा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मामले की सत्यता जानने के लिए नियमित जांच का करवाया जाना जनहित में उचित होगा।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 54 के अधीन प्रदत्त है के प्रयोग में श्री संध्या दास, प्रधान, ग्राम पंचायत ओयल विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के विरुद्ध उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं जो अपनी रिपोर्ट उपायुक्त ऊना के माध्यम से शीघ्र भेज देंगे वहां पंचायत निरीक्षक, विकास खण्ड गगरेट को प्रस्तुत कर्ता भी नियुक्त करते हैं जो जांच के दौरान सरकार का पक्ष भी रखेंगे।

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त सचिव।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
HIMACHAL PRADESH

"OFFICE ORDER"

Shimla-1, *the* 30*th May*, 1994

No. HIM/TP-Delegation of powers/93-Vol-1-1816-96—In exercise of the powers vested in the undersigned *vide* Sub-Section-2 of Section-77 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), I hereby delegate powers as exerciseable by the undersigned under *Section-38,39,79 and 81 of the Himachal Pradesh Town & Country* Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) in respect of Shimla Planning Area Zone No. 4,5 and 6 as delineated in the Interim Development Plan Shimla, already notified *vide* Govt. of H. P. Notification No. 9-12-/72-PW (B) dated 24-3-1979 to Er. Anil Biswas, Executive Engineer, Development Control Division No III (West) in supersession of this office order No. HIM/TP-Delegation of Powers/93-267-335, dated 18-4-1994.

Shimla-1, *the* 30*th May*, 1994

No HIM/Tp-Delegation of Powers/93-Vol-I-1897-1977.—In exercise of the powers vested in the undersigned *vide* Sub-Section-2 of Section-77 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), I hereby delegate powers as exercisable by the undersigned under section-38, 39, 79 and 81 of the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) in respect of Shimla Planning Area Zone No. 1, 2, 3 and 7 as delineated in the Interm Development Plan, Shimla already notified *vide* Government of Himachal Pradesh Notification No. 9-12/72-PW (B) dated 24-3-1979 to Er. P. K. Latawa, Executive Engineer, Development Control Division No. IV (East) in supersession of this office order No. HIM/Tp-Delegation of Powers/93-267-335 dated 18-4-1994.

Sd/-
Director,
Town & Country Planning Deptt.

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 जून, 1994

संख्या 1-21/71-एल0एस0जी0.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान, और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 (1971 का 22) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, वन विभाग के सभी वन मण्डल अधिकारियों को जहां तक वन भूमि के अधिक्रमण और अप्राधिकृत अधिभोग का सम्बन्ध है अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन के लिए, तत्काल प्रभाव से क्लक्टर नियुक्त करते हैं ।

आदेश द्वारा,

एस0 के0 सूद,
आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.* 1-21/71-*L.S G. dated* 8-6-94 *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India.*]

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th June, 1994

No. 1-21/71-L.S.G.—In exercise of the powers conferred by clause (*a*) of section 2 of the Himachal Pradesh Public Premises & Land (Eviction & Rent Recovery) Act, 1971 (Act No. 22 of 1971) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint all the Divisional Forest Officers of the Forest Department to perform the functions of the Collector within their jurisdiction under the aforesaid Act in so far as the encroachments as well as un-authorised occupation of Forest Land is concerned, with immediate effect.

By order,

S. K. SOOD,
Commissioner-cum-Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 जून, 1994

संख्या जी0 ए0 डी0 (एफ0) 1 (ए0) 4-2/90-वण्ड-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से किए गए आवेदन पर पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 5 की उप-धारा (1) के साथ पठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश देते हैं कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय कामगार राहत निधि जिसे बाद में हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण निधि के रूप में पुनः नामित किया गया है, तुरन्त प्रभाव से समाप्त हो जाएगी और उक्त निधि से सम्बन्धित सभी सम्पत्तियां और निधियां हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण निधि के नाम से सृजित किए जाने के लिए प्रस्तावित नये विन्यास में निहित होंगी । उक्त निधि का प्रशासन निम्न-लिखित से गठित समिति द्वारा किया जाएगा जब तक कि पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 के अधीन इसके प्रवर्तन के लिए ब्यौरेवार पुनरीक्षित योजना को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता:—

(i) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
(ii) वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(iii) सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग), हिमाचल प्रदेश।

(iv) सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।

आर० के० आनन्द,
मुख्य सचिव।

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th June, 1994

No. GAD (F)1(A)4-2/90-Part-I.—On the joint application made to the Government of Himachal Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under section 21 of the General Clauses Act, 1897, read with sub-section (1) of section 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (Act No. VI of 1890), is pleased to order that the Himachal Pradesh National Worker Relief Fund, subsequently renamed as the Himachal Pradesh Freedom Fighter's Welfare Fund, shall henceforth stand abolished and all properties and funds heitherto belonging to the said Fund shall vest in the new endowment proposed to be created in the name of the Himachal Pradesh Freedom Fighter's Welfare Fund. The said Fund will be administered by a committee consisting of :—

(*i*) Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.
(*ii*) Finance Secretary to Government of Himachal Pradesh.
(*iii*) Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh.
(*iv*) Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh.

till a detailed revised scheme for its operation under the Charitable Endowments Act, 1890, has been finalised.

R. K. ANAND,
Chief Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 8 जून, 1994

संख्या जी० ए० डी० (एफ०) 1 (ए०) 4-2/90-पार्ट-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, सचिव (सामान्य प्रशासन) और सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण निधि के प्रशासक के रूप में उनकी व्यक्तिगत हैसियत में संयुक्त रूप से किए गए आवेदन पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या सा० प्र० वि० (एफ०) 1 (ए०) 4-2/90-I दिनांक 8-6-94 द्वारा हिमाचल प्रदेश के पूर्व विन्यासों के कोषाध्यक्ष में निहित होने वाली सम्पत्ति के प्रशासन के लिए नीचे दी गई योजना बनाते हैं :—

हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण निधि के उपयोग के लिए योजना

1. परिभाषाएं.—(क) "हिताधिकारी" जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो "हित से हिमाचल प्रदेश में अधिवासित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने देश की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष या देश की स्वतन्त्रता के लिए दुःख सहे हों और यातना तथा कारावास के कारण, स्वास्थ्य हानि, व्य हानि या सम्पत्ति की हानि के कारण जीवन यापन करने की अवस्था में नहीं है ।

(ख) "आश्रितों" से पत्नी और हिताधिकारी से सीधे तौर पर जुड़े वंशज और ऐसा अन्य व्य हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य बोर्ड कहा गया है) के पूर्णतः या भागतः हिताधिकारी पर आश्रित है या आश्रित था, अभिप्रेत है ।

2. योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(क) निधि में अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य सरकारों से अभिदाय प्राप्त करना ।

(ख) निधि के लिए निजि अभिदाय और दान इकट्ठा करना ।

(ग) सभी उचित खर्चों, प्रभारों और व्ययों को चुकाना ।

(घ) ऐसे अन्य कार्य करना जो ऊपर विवरणित उद्देश्यों को प्राप्त करने और यो क्रियान्वित करने के लिए आनुषंगिक या सहायक हैं ।

(ङ) हिताधिकारियों और उनके आश्रितों की प्रसुविधा के लिए समग्र निधि और/या उपयोजन करना ।

3. निधि का प्रशासन पूर्वोक्त उद्देश्यों के लिए बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसका गठन अनु में यथा विनिर्दिष्ट रूप में होगा ।

4. राज्य बोर्ड की बैठक में गणपूर्ति बोर्ड के साठ प्रतिशत सदस्यों से होगी ।

5. राज्य बोर्ड अपने कारोबार के संव्यवहार हेतु नियम बनाने के लिए सक्षम होगा ।

6. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार बोर्ड के पदेन सचिव होंगे । वह राज्य बोर्ड द्वारा नीतियों के अनुसार राज्य बोर्ड के कारोबार का संचालन करने और निधि के दिन-प्रतिदिन के प्र दायी होगा । राज्य बोर्ड का सचिव इस योजना के अधीन अपने सभी और किन्हीं कृत्यों को प्रदेश सरकार के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए सक्षम होगा ।

7. राज्य बोर्ड हिमाचल प्रदेश सरकार के ऐसे अन्य अधिकारियों/पदधारियों को उनके किन्हें वर्गीय कृत्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए सक्षम होगा ।

8. राज्य बोर्ड समय-समय पर सलाहकार समितियों का गठन कर सकेगा और उन्हें भंग क निधि के प्रशासन या इसके प्रशासन से सम्बन्धित प्रश्नों पर परामर्श देने के लिए जिला संयोजकों कर सकता है और हटा सकता है ।

9. राज्य बोर्ड सभी समयों पर पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 की धारा 13 के अधीन सभी नियमों के अनुरूप कार्य करेगा और उनका पालन करेगा ।

10. योजना उस दिन प्रवर्तित होगी जिस दिन अपेक्षित निहित किया जाने वाला आदेश राजपत्र में अधिसूचित होगा ।

अनुबन्ध "अ"

राज्य बोर्ड का गठन

1. राज्य बोर्ड हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा ।

2. गठन : राज्य बोर्ड निम्नलिखित रूप से गठित होगा :—

(*i*)	अध्यक्ष	मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश ।
(*ii*)	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष द्वारा मन्त्रियों/उप-मन्त्रियों/ सदस्य स्वतन्त्रता सेनानियों में से नाम निर्दिष्ट ।
(*iii*)	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट बीस से अनधिक सदस्य ।
(*iv*)	पदेन सदस्य	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।

3. (*i*) सदस्यता की अवधि एक वर्ष की होगी परन्तु अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अवधि के अवसान से पूर्व हटा सकता है ।
(*ii*) सदस्य पुन: अपनी अवधि के अवसान के पश्चात् पुन: नाम निर्देशन के लिए पात्र हो जाएगा ।

4. राज्य बोर्ड की बैठक जितनी भी बार करनी हो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी परन्तु प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य होंगी ।

आर0 के0 आनन्द,
मुख्य सचिव ।

[*Authoritative English text of Government Notification No. GAD (F) I (A) 4-2/90-I, dated 8th June, 1994 as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th June, 1994

No. GAD (F) I (A) 4-2/90-I.—On a joint application made by the Chief Secretary, Finance Secretary, Secretary (GAD) and Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, in their personal capacity as Administrators of the Himachal Predesh Freedom Fighters Welfare Fund, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (Act No. VI of 1890), to settle the scheme set forth below for the administration of the property to be vested in the Treasurer Charitable Endoments, Himachal Pradesh *vide* Himachal Pradesh Government Notification No. GAD (F) I (A) 4-2/90-I, dated 8th June, 1994.

SCHEME FOR THE UTILISATION OF THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM FIGHTERS WELFARE FUND

1. *Definition*.—(*a*) "Beneficiary"—Unless the context otherwise requires "beneficiary" means a person of Himachal Pradesh domicile who has suffered during or on account of the struggle for the National liberation, and is not in a position to make his both ends meet due to loss of health by harassment or incarceration, loss of profession or loss of property,

(*b*) "Dependents" shall mean the wife and direct descendants of the beneficiary and any other person, who, in the opinion of Himachal Pradesh Freedom Fighters Welfare Board, hereinafter referred to as the State Board, is or was wholly or partly dependent on the beneficiary.

2. The objects of the Scheme are as follows :—

(*a*) To receive from the Central Government, Himachal Pradesh Government and other State Governments contributions in the shape of grants to the Fund.

(*b*) To collect private contributions and donations for the Fund.

(*c*) To defray all proper costs, charges and expenses.

(*d*) To do all such other things as are incidental or conducive to the attainment of the objects mentioned above or any of the or to the carrying out of this Scheme.

(*e*) To apply the corpus and/or income of the Fund for the benefit of the beneficiaries and their dependents.

3. The Fund shall be administered for the objects aforesaid by a State Board which will be constituted as specified in Annexure 'A'.

4. The quorum at any meeting of the State Board shall consist of 60 percent to the members of the Board.

5. The State Board shall be competent to make rules for the conduct of its business.

6. The Chief Secretary to the Government, Himachal Pradesh shall be the ex-officio Secretary of the State Board. He shall be responsible for conducting the business of the State Board and for the day to day administration of the fund, in accordance with the policies laid down by the State Board. It shall be competent for the Secretary of the State Board to delegate all or any of his functions under this Scheme to any other officer of the Himachal Pradesh Government.

7. The State Board shall be competent to authorise such other officers/officials of the Himachal Pradesh Government to discharge any of their ministerial functions.

8. The State board may, from time to time, constitute and dissolve Advisory Committees, oppoint or remove district conveners for advising them on the administration of the Fund or any question connected with the administration thereof.

9. The State Board shall at all times conform and abide by rules framed under section 13 of the Charitable Endowments Act, 1890.

10. The Scheme shall come in to operation on the day the requisite vesting order is notified in the Rajpatra.

ANNEXURE 'A'

CONSTITUTION OF THE STATE BOARD

1. The State Board shall be known as the Himachal Pradesh Freedom Fighters Welfare Board.

2. *Composition* .—The State Board shall be constituted as under :

(*i*)	President	The Chief Minister, Himachal Pradesh.
(*ii*)	Vice-President	To be nominated by the President from amongst Ministers/Deputy Ministers/Freedom Fighter Members.
(*iii*)	Members	*Members not exceeding 20(Twenty) to be nominated by the President.*
(*iv*)	Ex-Officio Secretary	The Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.

3. (*i*) The term of membership will be one year provided that the President may remove any member before the expiry of the term.

(*ii*) A member will be eligible for renomination on the expiry of his term.

4. The State Board shall meet as often as may called by the President, but at least two meetings shall take place in each year.

R. K. ANAND
Chief Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग
एफ-शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 9 जून, 1994

संख्या सा० प्र० वि० (एफ) 1(ए) 4-2/90-1.—मुख्य मन्त्री महोदय जो कि हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं की हैसियत से इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्यों को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष मनोनीत करते हैं :—

1.	मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश	अध्यक्ष
2.	श्री गौरी प्रसाद, महाजन बाजार, मण्डी जिला मण्डी (हि० प्र०)।	उपाध्यक्ष
3.	महाशय तीर्थ राम, गांधी सेवा आश्रम पोवल, जिला ऊना (हि० प्र०)।	सदस्य

4. श्रीमती सरला शर्मा, स्टेवरी हिल, हाऊसिंग बोर्ड कलोनी, शिमला-2. सदस्य

5. श्री नरोतम दत्त शास्त्री, जीवन कुटीर सैक्टर नं0 3, बिलासपुर (हि0 प्र0)। सदस्य

6. श्री सीता राम शर्मा, पूर्व विधायक, गांव धारठ, डाकघर जाबरी, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0)। सदस्य

7. लाला भगत राम, गांव/डाकघर कड़ोहता, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। सदस्य

8. श्री बस्ती राम पहाड़िया, गांव पालू, डाकघर हाब्बण, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। सदस्य

9. श्री होशियार सिंह थापा, गांव/डाकघर चान्दमारी, धर्मशाला कैंट, ज़िला कांगड़ा (हि0 प्र0)। सदस्य

10. श्री राधा कृष्ण, गांव केलताव्दी, डाकघर चनौर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। सदस्य

11. श्री तेज सिंह निधड़क, मकान नं0 165/7, मण्डी टाऊन, जिला मण्डी (हि0प्र0)। सदस्य

12. श्री देवी दास मुसाफिर, गांव जंधेड, डाकघर सरोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)। सदस्य

13. श्री ज्ञान चन्द टूटू, निवासी टूटू, शिमला-11 सदस्य

14. श्री बदरी प्रसाद, गांव, मनियारा, डाकघर पादा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। सदस्य

15. श्री पदम नाभ, गांव/डाकघर रिवालसर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। सदस्य

16. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार। पदेन सचिव।

2. हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को दैनिक एवं यात्रा भत्ता संलग्न अनुबन्ध के अनुसार देय होगा।

3. यह खर्चा मुख्य शीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-200-अन्य स्कीमें, 06-हिमाचल प्रदेश

4. संयुक्त सचिव/उप-सचिव/अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) इस बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों के दैनिक/यात्रा भत्ता भुगताने के लिए नियन्त्रक अधिकारी होंगे। इन सदस्यों के उपरोक्त बिल भी सामान्य प्रशासन विभाग एफ-शाखा में बनाये जायेंगे ।

5. इस मामले पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति अनौपचारिक संख्या 531-Fin-(c)A-9/189-IV दिनांक 23-5-94 द्वारा प्रदान कर रखी है ।

अनुबन्ध

यात्रा भत्ता

(क) रेल द्वारा यात्रा :

गैर-सरकारी सदस्य को प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारी समान माना जाएगा और वस्तुत : प्रयोग की गई वास्तविक सुविधा के वर्ग के अनानुकूलित जाड़ के अतिरिक्त वास्तविक यात्रा भाड़े का हकदार होगा ।

(ख) सड़क द्वारा यात्रा :

यात्रा की दशा में सड़क मील दूरी, केन्द्र जो रेल के साथ सम्बद्ध न हो, के बीच में, गैर-सरकारी सदस्य निम्न सड़क मील दूरी के हकदार होंगे :—

(I) यदि यात्रा वास्तविक भाड़ा देकर की गई हो—जैसे लोक बस द्वारा एकल सीट/स्थान.		
(II) मोटर साईकल/स्कूटर द्वारा यात्रा की दशा में ।	(क) पहाड़ी क्षेत्र के लिए ।	80 पैसे प्रति कि0 मी0 ।
	(ख) समतल क्षेत्र के लिए ।	60 पैसे प्रति कि0 मी0 ।
(III) पूरी टैक्सी या अपनी कार द्वारा यात्रा की दशा में ।	(क) पहाड़ी क्षेत्र के लिए ।	2.50 पैसे प्रति कि0 मी0 ।
	(ख) समतल क्षेत्र के लिए ।	2.00 रु0 प्रति कि0 मी0 ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उन्हे विभाग से प्रारम्भ होने वाले स्थाई निवास स्थान से उनकी कुल अनुपस्थिति के लिए और स्थाई निवास स्थान पर पहुचने की समाप्ति के साथ सरकारी कर्मचारी को लागू निबन्धन और शर्तों और निम्न पैरा 5 की शर्तों के अध्याधीन दैनिक भत्ता मिलेगा ।

2. दैनिक भत्ते :

(क) गैर-सरकारी सदस्य बैठक के प्रत्येक दिन के अपने-अपने परिक्षेत्र और प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को लागू होने वाले निबन्धन और शर्तों के अध्याधीन उच्च दर पर दैनिक भत्ता मिलेगा ।

(ख) बैठक के दिनों के लिए दैनिक भत्ते के अतिरिक्त सदस्य दौरे पर और निम्न बोर्ड/समिति के कार्यों से सम्बद्ध बाहरी स्टेशन पर विराम के लिए दैनिक भत्ते का हकदार भी होगा :—

(क) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक न हो

(ख) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक परन्तु 12 घण्टे से अधिक न हो । 70 प्रतिशत

(ग) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 12 घण्टे से अधिक है पूर्ण

3. (अ) प्रवहण भत्ता :

गैर-सरकारी सदस्य जो उस स्थान, जहां बोर्ड/समिति की बैठक धारित हुई है का निवासी हो, को यहां उपदर्शित मान पर यात्रा और दैनिक भत्ता जो अधिकतम 10 रुपये प्रतिदिन हो लेने का हकदार नहीं होगा । इससे पहले कि दावा वस्तुत : संदत्त किया जाये (Controlling Officer) नियन्त्रक अधिकारी दावे को सत्यापित करेगा और ऐसा ब्यौरा जिसे आवश्यक समझे अभिप्राप्त करके कि वास्तविक व्यय दावे की राशि से कम नहीं थी अपना समाधान करेगा । यदि इस ब्यौरे से उनका समाधान नहीं होता तो वह अपने विवेक पर प्रवहण भत्ते को सड़क मील दूरी तक सीमित कर सकेगा । यदि ऐसा सदस्य अपनी कार का प्रयोग करता है तो उसे प्रथम श्रेणी के अधिकारी को मील दूरी भत्ता अनुज्ञेय दर से अधिकतम 10 रुपये प्रति दिन के अनुसार दिया जायेगा ।

(4) सदस्य को यात्रा और दैनिक भत्ता उसके द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र पेश करने पर दिया जायेगा कि उसने उसी यात्रा के लिए सरकार के किसी अन्य स्रोत से यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं लिया है ।

(5) गैर-सरकारी सदस्य बोर्ड/समिति की बैठक से सम्बद्ध की गई वास्तविक यात्रा के लिए और उसके स्थाई निवास-स्थान जो पहले से ही नियत किया गया हो यात्रा भत्ते का हकदार होगा । यदि कोई सदस्य बोर्ड/समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए अपने स्थाई निवास स्थान से भिन्न अन्य स्थान पर यात्रा करे या बैठक समाप्त होने के पश्चात् उसके स्थाई निवास स्थान से भिन्न अन्य स्थान या ऐसे अन्य स्थान और बैठक का स्थान, जिनकी दूरी कम है को वापिस आता है ।

(6) गैर-सरकारी सदस्य को यात्रा भत्ते के खाते में अतिसंदाय की दशा में हिमाचल प्रदेश खजाना नियम के नियम 4.17 और 6.1 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(7) गैर-सरकारी सदस्य जो विधान सभा का सदस्य हो, में बोर्ड/समिति के काम से सम्बद्ध यात्रा की हो समय-समय पर संशोधित विधान सभा अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय के वेतन और भत्ते के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(8) सदस्य उनके समनुदेशन से सम्बद्ध दैनिक भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा जब विधान सभा या विधान सभा समिति जिस पर सदस्य सत्र में विचारत है जो विधान सभा सदस्य के वेतन और भत्ते अधिनियम के अधीन वह अपने दैनिक भत्ते ले रहे हैं, हालांकि यदि वह प्रमाणित करे कि उन्हें सदन के सत्र या विधान सभा समिति के हाजिर होने से निवारित किया गया हो और विधान सभा से कोई दैनिक भत्ता नहीं लिया है, वह विनिर्दिष्ट दर से दैनिक भत्ते के हकदार होंगे ।

(9) सदस्य जो विधान सभा से अनर्हित किया गया हो प्रवहण भत्ते के अन्तर्गत यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता भी नहीं लेगा ।

शिमला-2, 9 जून, 1994

संख्या सा० प्र० वि०(एफ०) 1(ए०) 4-2/90-I.—इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 13-5-94 के क्रम को जारी रखते हुए स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के अधीन गठित उप-समिति के गैर-सकारी सदस्यों को दैनिक/यात्रा भत्ता संलग्न अनुबन्ध के अनुसार देय होगा ।

2. यह खर्चा मुख्य शीर्षक 2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-200—अन्य स्कीमें, 06—हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण निधि से किया जायेगा । (गैर-योजना) ।

3. संयुक्त सचिव/उप-सचिव/अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) इस उप-समिति के गैर सरकारी सदस्यों के दैनिक/यात्रा भत्ता भुगतान के नियन्त्रक अधिकारी होंगे । इन सदस्यों के उपरोक्त बिल भी सामान्य प्रशासन एफ-शाखा में बनाये जायेंगे ।

4. इस मामले पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति अनौपचारिक संख्या 531-फिन(सी)ए (9) 1/89-4, दिनांक 23-5-94 द्वारा प्राप्त कर रखी है ।

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 जून, 1994

संख्या गृह (ए०) एफ० (13)-8/90.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं आर्टिलरी अभ्यास अधिनियम, 1938 की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) में अपेक्षित है, इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन उन सभी क्षेत्रों में जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या गृह (ए०) एफ० (13)-8/90, दिनांक 25-10-91 जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण राजपत्र के अंक दिनांक 10-10-91 में प्रकाशित हुई थी, में निर्दिष्ट किए गए हैं, में निम्नलिखित अवधि के दौरान पूर्व परिभाषित क्षेत्र में फील्ड फायरिंग एवं आर्टिलरी अभ्यास करने हेतु प्राधिकृत करने के निश्चय को, सरकारी राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना उन लोगों की सूचना हेतु जोकि इसके द्वारा प्रभावित होने सम्भावित है, सहर्ष प्रकाशित करते हैं ।

अनुसूची

1 जुलाई, 1994 से 30 जून, 1995 (नारायण गढ़ रेंज) :

तोप दागने का अभ्यास एक सप्ताह में चार दिन यानि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा शुक्रवार को होगा । यदि किसी कारणवश इन चारों दिनों में से किसी दिन अवकाश होता है तो फायरिंग का अभ्यास नहीं होगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 10 *June*, 1994

No. 1-1/84-Pari.—In supersession this Department' Notification of even number dated 24-5-1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-nominate Shri Prem Kaushal as member of Regional Transport Authority, Mandi and his tenure will coterminus with this Department Notification Number 1-1/84-Pari, dated 24-5-1994.

By order,
Sd/-
Commissioner-cum-*Secretary*.

कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 10 जून, 1994

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0एन0डी0-ए(1)61/92-2203-2206.—यतः ग्राम पंचायत जडोल, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने अपने प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 13-4-94 के अन्तर्गत सूचित किया है कि श्री कातकु राम, पंच, वार्ड नं0 6 की मृत्यु दिनांक 4-1-1994 को हो गई, जिसके कारण ग्राम पंचायत जडोल के वार्ड नं0 6 में पंच का स्थान रिक्त हो गया है।

अतः मैं, ए0 आर0 रिजवी, अतिरिक्त उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, (हि0 प्र0) ग्राम पंचायत जडोल के वार्ड नं0 6 में पंच का स्थान रिक्त घोषित करता हूं।

मण्डी, 13 जून, 1994

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0एन0डी0-ए(1)61/92-2223-28.—उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 1971 के नियम 19(बी) जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-पी0सी0एच0-एच0बी0-(2)19/76, दिनांक 15-1-1982 के साथ पढ़ा जाये के अधीन प्राप्त हैं, मैं, एस0 आर0 रिजवी, अतिरिक्त उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, (हि0 प्र0) निम्न पंचायत पदाधिकारियों के त्याग-पत्र स्वीकार करता हूं साथ ही इनके पदों को रिक्त घोषित करता हूं :—

क्रम संख्या	नाम विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	नाम पदाधिकारी	पद	वार्ड संख्या
1.	चौंतड़ा	लांगणा	श्री मेघ सिंह	उप-प्रधान	
2.	चौंतड़ा	लांगणा	श्री लाल सिंह	पंच	नेरी कोटला वार्ड नं0 5

ए0 आर0 रिजवी,
अतिरिक्त उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

M.P.P. AND POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th June, 1994

No. MPP-C(3)10/88-Equity-HPSEB.—Whereas the Governor of Himachal Pradesh considers it expedient so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 12-A of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act No. 54 of 1948) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to direct that the Himachal Pradesh State Electricity Board shall be, with immediate effect, a body corporate with a capital of ten crores of rupees.

By order,

B. B. TANDON,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

ऊना, 15 जून, 1994

संख्या एफ0 डी0 एस0 ऊना-136/81-भाग-2/-3057-3156.—पिछले सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, हिमाचल प्रदेश जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी निवारण आदेश, 1977 की धारा 3 (1) (ई) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम0 एल0 शर्मा, हि0 प्र0 से0 जिला दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, (हिमाचल प्रदेश) उपरोक्त आदेशों की अनुसूचि संख्या में दर्ज निम्नलिखित वस्तुओं का समस्त करों सहित अधिकतम परचून मूल्य का निर्धारण निम्न प्रकार से करता हूं। कोई भी व्यापारिक निर्माता निम्न निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य नहीं लेगा।

क्र0 सं0	आदेश के अनुसार (शैड्यूल) वस्तु क्रमांक	वस्तु का नाम	समस्त करों सहित अधिकतम परचून मूल्य
1	2	3	4
			रु0 पैसे
1.	2.	1. डब्बल रोटी लोकल वजन 400 ग्राम	3.50 प्रति पैकट
		2. डब्बल रोटी बाहर की वजन 400 ग्राम	3.75 प्रति पैकट
2.	12.	1. मीट बकरा	40.00 प्रति किलोग्राम
		2. मीट बकरा	16.00 प्रति प्लेट
		3. मीट मछली (ग्रेड-ए)	27.00 प्रति किलोग्राम
		4. मीट मछली (ग्रेड-बी)	18.00 प्रति किलोग्राम

1	2	3	4
3.	17.	1. खाना प्रति थाली चपाती, दाल सब्जी सहित	10.00 प्रति खुराक
		2. खाना प्रति प्लेट चावल दाल तथा सब्जी सहित	10.00 प्रति खुराक
		3. चपाती तन्दूरी	1.00 प्रति चपाती
		4. स्पैशल पनीर वाली सब्जी	8.00 प्रति प्लेट
		5. स्पैशल सब्जी फुल प्लेट	7.00 प्रति प्लेट
		6. दाल फ्राईड	4.00 प्रति प्लेट
4.	18.	1. दूध कच्चा हलवाईयों द्वारा बेचा जाना	8.00 प्रति किलोग्राम
		2. दूध मीठा डाल कर	9.00 प्रति किलोग्राम
		3. दहीं	12.00 प्रति किलोग्राम
		4. दहीं लस्सी	5.00 प्रति गिलास
		5. पनीर	50.00 प्रति किलोग्राम

टिप्पणी :

दुकानदार को दुकान में सहज दृष्टिगत स्थान पर मूल्य सूचि प्रदर्शित करना और उस पर दुकानदार/भागीदार/प्रबन्धक के दिनांक सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है ।

यह आदेश सम्पूर्ण जिला ऊना में हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने से एक माह की अवधि तक लागू रहेंगे ।

एम0 एल0 शर्मा,
जिला दण्डाधिकारी ऊना,
जिला ऊना, (हिमाचल प्रदेश) ।